प्रकरण संख्या 177/2017 श्रीमती टम्मु व अन्य बनाम भीमा व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.09.2023	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 14 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गांव कालोडा (भूरीतलाई), तहसील बड़गांव में वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित कुल आराजियात किता 55 रकबा 20 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एक ही परिवार के सदस्य होकर मूल पुरूष तुलसा जी थे, जिनके पांच पुत्र पन्ना, दला, भीमा, केवलिया व गोटा हुए, जिसमें से पन्ना, दला व केवलिया की मृत्यु हो चुकी है। वादी संख्या 1 भीमा का वारिस है। पन्ना जी के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 3 हैं, पत्नी खमाणी बाई व पुत्री मीरा बाई है। दला जी के एक पुत्र नौजा प्रतिवादी संख्या 2 है। केवलिया के 6 पुत्र हुए, वादी संख्या 3 से 14 तक केवलिया जी के वारिस हैं। पन्ना जी की पत्नी खमाणी बाई एवं पुत्री मीरा ने दिनांक 27.06.2014 को अपने अपने हिस्से का हक त्याग प्रतवादी संख्या 1 से 3 के हक में कर दिया, जिससे वादग्रस्त आराजियात में उनका कोई हिस्सा नहीं रह जाने से उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया। मूल पुरूष तुलसा जी के पांच पुत्र पन्ना, दला, भीमा, केवलिया व गोटा होने से प्रत्येक का 1/5, 1/5 हिस्सा है, जिसमें से गोटा लाऔलाद फोत होने से एवं उसके कोई वारिस नहीं होने से उसकी सेवा हेतु श्रीमती चेनकी को रखा था, जो विवादित नहीं थी, किन्तु बाद में वह केसा जी के नाते चली गयी एवं वहीं रहने लगी। गोटा जी की सेवा चाकरी उसके चारों भाईयों ने की। इस प्रकार तुलसा की भूमि में गोटा जी के लाऔलाद फोत हो जाने से शेष बचे चारों पन्ना, दला, भीमा व केवलिया का 1/4, 1/4 हिस्सा हो गया एवं इसी अनुसार पक्षकारान काबिज हैं। अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर पक्षकारान के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभा[illegible] जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को जरिये स्थायी निषे[illegible] पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्या[illegible] रिपोर्ट अनुसार अ[illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:52:36 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक 08.06.2017 से वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 23.10.2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 14 की ओर से वकील श्री कुन्दन सिंह सोनी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 18 राज्य सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजियात में प्रार्थीगण के पिता गोटा जी का 1/5 हिस्सा था, किन्तु वादीगण ने अधिनस्थ न्यायालय में गोटा जी को लाऔलाद फोत होना बताकर धोखे से डिक्री प्राप्त कर ली, जिससे प्रार्थीगण के हित प्रभावित हो रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट/प्रार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब देते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि गोटा लाऔलाद फोत होने से उसके हिस्से की भूमियां उसके भाईयों को प्राप्त हुई हैं। प्रार्थीगण ने अपने आपको गोटा जी की पुत्रियां बताकर अपील प्रस्तुत की हैं, जबकि गोटा जी के कोई लड़का या लड़की नहीं थी। प्रार्थीगण/अपीलान्टगण का विवादित आराजियात से कोई संबंध नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट/प्रार्थीगण ने अपने आपको गोटा की पुत्रियां बताकर अपील प्रस्तुत की है कि रेस्पोन्डेन्टगण ने इस तथ्य से इंकार किया है एवं गोटा का लाऔलाद फोत होना बताया है। प्रार्थीगण गोटा की पुत्रियां है अथवा नहीं, यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:52:36 IST
Reason: SelfAttested

तो साक्ष्यों से ही प्रमाणित हो सकता है। तद्नुसार न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की अनुपस्थिति में उन्हें बिना सुने निर्णय व डिक्री पारित की गयी है, जिसकी उन्हें जानकारी उन्हें दिनांक 26.09.2017 को पटवारी हल्का से हुई। देरी का पर्याप्त कारण है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि वादग्रस्त आराजियात से प्रार्थीगण का कोई संबंध नहीं है इसलिए उन्हें पक्षकार बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई ठोस कारण अपीलान्ट ने नहीं बताया है। अतः अपील बेरून मयाद होने से खारिज की जावे।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर पत्रावली का मनन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने आपसी राजीनामा कर गोटा जी के वारिसान को बिना पक्षकार बनाये धोखे से डिक्री प्राप्त कर ली, जबकि अपीलान्टगण गोटा जी की पुत्रियां होने से उनका विवादित आराजिया में 1/5 हिस्सा निहित है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को पुनः साक्ष्य लेकर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:52:36 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के

निर्णय को विधि सम्मत होना बताते हुए अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्टगण ने गोटा की पुत्रियां बताकर यह अपील प्रस्तुत की है, जबकि रेस्पोन्डेन्टगण का कथन है कि गोटा जी लाऔलाद फोत हुए एवं उनके कोई पुत्र या पुत्री नहीं थी। चूंकि अपीलान्टगण अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे, इसलिए उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि वह अपने आपको गोटा की पुत्रियां होने का कथन करती हैं। अपीलान्टगण गोटा जी की पुत्रियां हैं अथवा नहीं यह तो साक्ष्यों से ही प्रमाणित हो सकता है। इसलिए न्यायहित में हम उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित समझते हैं। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को हम त्रुटि पूर्ण पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.06.2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों की साक्ष्य लेकर गोटा जी के विधिक वारिसानों की जांच कर एवं पक्षकारों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.11.2023 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:52:36 IST
Reason: SelfAttested